[भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 17/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी, 2021

सा.का.नि. ..../.. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2000-सीमाशुल्क, दिनांक 8 मई, 2000, जिसे सा.का.नि. 413 (अ), दिनांक 8 मई, 2000 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (4) में,-

(i) प्रविष्टि “11.85%” के स्थान पर, प्रविष्टि “6.9%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) प्रविष्टि “11.00%” के स्थान पर, प्रविष्टि “6.1%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फाइल संख्या डीजीईपी/जीएंड जे/05/2017]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- प्रधान अधिसूचना संख्या 57/2000-सीमाशुल्क, दिनांक 8 मई, 2000, जिसे सा.का.नि. 413 (अ), दिनांक 8 मई, 2000 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 24/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 21 मई, 2020, जिसे सा.का.नि. 306(अ), दिनांक 21 मई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।